



Neutral Citation-2026: AHC:20632

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 2923/2026

रिज़वान आलमयाचिकाकर्तागण
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सचिन कुमार ओझा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं, और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से स्वयं को व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, फूलपुर, प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या 194/2024 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202402030200194) (रिज़वान आलम बनाम ग्राम सभा) का शीघ्रता से निपटारा करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर, उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) का उल्लेख करना उचित और उपयुक्त होगा, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसा आवेदन दायर किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:- "(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण की जाएगी।"

5. उक्त प्रावधान के होते हुए भी, और साथ ही पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, फूलपुर, प्रयागराज को यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त मामले को अपने हाथ में लें और उसका निपटारा, कानून के अनुसार सख्ती से और मामले के अपने गुणदोष के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से—और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर—करें; किंतु ऐसा करते समय, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों की गुणदोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी 2020

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"